संख्या : 233/XIII-II/2014-40(08)/2013

प्रेषक,

देवेन्द्र पालीवाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलपति,
उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय,
भरसार, (पौड़ी गढ़वाल)।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक : 27 मई, 2014

विषयः "भरसार विश्वविद्यालय के रानीचौरी कैम्पस में कर्मचारी आवासों का निर्माण" कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भरसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या : UUHF/VC/339/2013/1084 दिनांक 19.12.2013 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उक्त कार्य हेतु कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम लि., देहरादून द्वारा गठित आगणन ₹ 114.91लाख {₹ 97.33लाख + ₹ 17.58लाख (उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत कार्य)} की तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत लागत **₹ 111.65लाख** {₹ 94.07लाख + ₹ 17.58लाख (अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत कराए जाने वाले कार्य)} (₹ एक करोड़ ग्यारह लाख पैसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : –

1. उक्त कार्य इसी स्वीकृत धनराशि से समयबद्धता एवं वांछित गुणवत्तापूर्वक सम्पादित कराया जाएगा जिस हेतु आगणन/डी.पी.आर. का पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा। कार्य आवंटित करने से पूर्व इस आशय का अनुबन्धपत्र कार्यदायी संस्था से निस्पादित करा लिया जाएगा।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।
3. धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। मितव्ययता के फलस्वरूप अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार शासन/वित्त विभाग को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2015 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का यथाआवश्यकता किश्तों में आहरण किया जाएगा और पूर्व आहरित धनराशि के 80प्रतिशत उपयोग के बाद ही अगली किश्त का कोषागार से आहरण किया जाएगा।
6. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
7. आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु संबंधित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
8. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

9. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए, जितनी राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
10. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निर्माण सामग्री क्रय करने हेतु मानकों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं इस संबंध में समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन कड़ाई से किया जाए।
11. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लाई जाए।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय शासनादेश संख्या 232/XIII-II/2014-39(08)/2013 दिनांक 29.3.2014 द्वारा भरसार विश्वविद्यालय के पी.एल.ए. खाते में हस्तान्तरित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जाएगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 08(पी.)/XXVII(4)/2014 दिनांक 23 मई, 2014 के द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(देवेन्द्र पालीवाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या : 233 (1)/XIII(2)/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
4. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
5. वित्त नियंत्रक, भरसार विश्वविद्यालय, पौड़ी गढ़वाल।
6. महाप्रबंधक, राजकीय निर्माण निगम लि., इकाई–4, देहरादून।
7. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
9. राज्य योजना आयोग, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह परमार)
अनु सचिव।